भारत में बाल श्रम – एक अवलोकन

डॉ० मनीष कुमार गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
साहू जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नजीबाबाद, उ०प्र०

सारांश

बाल श्रम एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है जो गरीबी और निरक्षरता से निकटता से जुड़ी हुई है। भारत के संदर्भ में बाल श्रम से आषय 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से है जो किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक या दोनों प्रकार से प्रतिफल या बिना प्रतिफल के संलग्न हैं। भारत में बाल श्रम संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिक जनसंख्या, निरक्षरता, शिक्षा सुविधाओं की कमी, गरीबी, ऋणग्रस्तता इत्यादि कुछ ऐसे सामान्य कारण हैं जो बाल श्रम को जन्म देते हैं। सरकार बाल श्रम उन्मूलन हेतु सतत् रुप से प्रयासरत है परंतु व्यवसायियों को भी बाल श्रम को पूर्ण रूप से हतोत्साहित करना होगा। श्रम–संघों व गैर–सरकारी संगठनों को भी इस हेतु आगे आना चाहिये। सरकार को कानून बनाने से ज्यादा उसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिये। साथ ही यह भी अनिवार्य हो जाता है कि जो भी अधिनियम बनाये जायें या संशोधित करे जायें उनमें असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाये क्योंकि बाल श्रम की वास्तविक समस्या इन्हीं क्षेत्रों में है।

महत्वपूर्ण शब्द

बाल श्रम, ऋणग्रस्तता, गरीबी, बाल श्रम अधिनियम।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

डॉ० मनीष कुमार गुप्ता,

''भारत में बाल श्रम – एक अवलोकन''

शोध मंथन,
सितम्बर 2017,
पेज सं0 206–212
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No. 30

किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों–किशोरों के हाथ में होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उनके जीवन की विकासशील अवस्था में धनार्जन गतिविधियों में न धकेलकर, उन्हें भरपूर शिक्षण–प्रशिक्षण दें और उन्हें एक परिपक्व नागरिक के रुप में विकसित करें, तभी किसी भी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है। परंतु वर्तमान में बाल श्रम की समस्या भारत देश के सामने एक चुनौती बनी हुई है।

यद्यपि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार एवं कई गैर–सरकारी संगठन सक्रिय कदम उठा रहे हैं लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी भारत से बाल श्रम उन्मूलन नहीं होसका है। बाल श्रम एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है जो गरीबी और निरक्षरता से निकटता से जुड़ी हुई है। इस समस्या के खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। व्यवसायियों को भी बाल श्रम को हतोत्साहित करना होगा।

सैद्धांतिक रूप से बाल श्रम वह गतिविधि है जो बच्चों से उनका बचपन, उनकी सामर्थ्य एवं आत्म–सम्मान को छीनता है तथा उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में बाधक है। भारत में व्यापक रुप में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी इत्यादि समस्यायें व्याप्त हैं। फलस्वरुप बच्चे स्वयं ही कार्य के लिये प्रस्तुत रहते हैं। उनके माता–पिता भी इस बात का विरोध नहीं करते हैं।

यूनिसैफ के अनुसार

"5 से 11 वर्ष के बच्चे यदि कम से कम एक घंटे की आर्थिक गतिविधि या कम से कम 28 घंटे का घरेलू कार्य करते हैं तो बाल श्रम कहलायेगा। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों की दशा में उपरोक्त समयावधि क्रमशः 14 तथा 42 घंटे हो जाती है।"

भारत के संदर्भ में बाल श्रम से आशय

भारत के संदर्भ में बाल श्रम से आशय 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से है जो किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक प्रक्रिया में प्रतिफल या बिना प्रतिफल के संलग्न हैं। यह प्रतिभाग शारीरिक, मानसिक या दोनों प्रकार का हो सकता है। यह कार्य अल्पकालिक या अदत्त कृषि कार्य, पारिवारिक उद्यम या अन्य कोई आर्थिक क्रिया भी हो सकता है चाहे इसका उद्देश्य व्रिकय हो या घरेलू उपभोग।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में वर्णित आधारभूत अधिकार के अनुसार तथा राज्य के दिशा निर्देशक सिद्धातों के अंतर्गत 14 वर्श से कम के बच्चों का किसी कारखाने, खान या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में काम करना प्रतिबंधित है।

शोध पत्र के उद्देश्य

इस शोध पत्र में हम भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति की एक झलक पाने जा रहे हैं। साथ ही भारत में बाल श्रम के कारणों का तथा सरकार द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के प्रयासों का भी संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। उन विभिन्न बिंदुओं पर दृष्टि डाली जाएगी जिनका पालन भारतीय उद्यमों द्वारा भारत में बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

डॉ० मनीष कुमार गुप्ता

भारत में बाल श्रम के क्षेत्र

भारत में बाल श्रम संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है। संगठित क्षेत्र में हीरा उद्योग, माचिस–अगरबत्ती–धूपबत्ती, ताला निर्माण, चूडी एवं शीशे से अन्य निर्माण, आतिशबाजी निर्माण, रेशम उद्योग, कालीन बुनाई, कोयला खनन, होटल उद्योग, बर्तन उद्योग आदि में बाल श्रम के अस्तित्व को देखा जा सकता है। असंगठित क्षेत्रों में चाय की दुकान, होटल–ढाबों, साईकिल–स्कूटर मरम्मत एवं घरों–दुकानों में नौकरों इत्यादि के रुप में भी बाल श्रम भारत में विद्यमान है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार इन असंगठित क्षेत्रों में लगभग 25 लाख बाल श्रमिक कार्यरत हैं। गैर सरकारी संस्थायें इस संख्या को लगभग 2 करोड बताती हैं। कृषि क्षेत्र में भी बाल श्रम अधिक मात्रा में है।

भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति

तालिका 1

भारत में बाल श्रम

विवरण	कुल बाल आबादी	बाल श्रम 5–4 आयु वर्ग	बाल श्रम कुल बाल आबादी का प्रतिशत
जनगणना 2001	25.2 करोड़	1.27 करोड़	5.04
जनगणना2011	25.96 करोड़	43.53 लाख	1.68

स्रोत– भारतीय जनगणना

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि बाल श्रम प्रतिशत 2001 के 5.04 प्रतिशत से घटकर 2011 में 1.68 प्रतिशत हो गया है जो प्रदर्शित करता है कि विभिन्न सरकारी व गैर–सरकारी प्रयासों का वांछित परिणाम आया है।

तालिका 2

भारत में सर्वाधिक बाल श्रम प्रतिशत वाले 5 राज्य

राज्यों के नाम	2001 की जनगणना		2011 की जनगणना	
	बाल श्रम की संख्या	कुल बाल श्रम का प्रतिशत	बाल श्रम की संख्या	कुल बाल श्रम का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	1363339	10.76	404851	09.30
मध्य प्रदेश	1065259	08.41	286310	06.58
बिहार	1117500	08.82	451590	10.37
राजस्थान	1262570	09.97	252338	05.80
उत्तर प्रदेश	1927997	15.22	896301	20.59
भारत (कुल बाल श्रम)	12666377	100	4353247	100

स्रोत– श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि भारत में सर्वाधिक बाल श्रम प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाया जाता है।

भारत में बाल श्रम के कारण

अधिक जनसंख्या, निरक्षरता और शिक्षा सुविधाओं की कमी, गरीबी, कर्ज–जाल कुछ ऐसे सामान्य कारण हैं जो बाल श्रम को जन्म देते हैं। कर्ज के बोझ तले दबे माता–पिता अपनी खुद की परेशानियों के दबाव में एक सामान्य बचपन के महत्व को समझने में असफल होते हैं और अपने बच्चों को बाल श्रम के दलदल में झोंक देते हैं। विभिन्न भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विभिन्न उद्योगों में कायदे–कानूनों को दरकिनार कर बच्चों को अधिक काम और कम वेतन पर भर्ती करती हैं जो बिल्कुल अनैतिक है।

बाल श्रम की रोकथाम हेतु भारत में सरकारी उपाय

बाल श्रम अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी अधिकारी विभिन्न प्रतिष्ठानों का सामयिक निरीक्षण कर उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सजा एवं जुर्माना देने की अपनी शक्तियों की प्रयोग करते हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अतिरिक्त भारत में बाल श्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न सरकारी प्रयास निम्न हैं –

(1) बाल श्रम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

10 दिसंबर 1996 को एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम के उन्मूलन के मुद्दे पर कुछ निर्देश दिए। निर्णय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• कामकाजी बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण।

• खतरनाक उद्योग में काम करने वाले बच्चों को वापस लेना और उपयुक्त संस्थानों में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना।

• इस उद्देश्य के लिए स्थापित की जाने वाली कल्याण निधि में दोशी नियोक्ताओं द्वारा प्रति बच्चे की दर से 20000/– रुपये का योगदान।

• इस प्रकार काम से हटाए गए बच्चे के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार और यदि यह संभव नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा द्वारा कल्याण निधि में रु. 5000/– का अंशदान किया जाए।

• इस प्रकार निकाले गए बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता जब तक कि बच्चे को वास्तव में स्कूलों में भेजा जाता है। यह सहायता कल्याण कोश में जमा 20000/25000 रुपये की राशि पर ब्याज की कमाई से भुगतान की जायेगी।

• गैर–खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों के काम के घंटों को विनियमित करना ताकि उनके काम के घंटे प्रतिदिन छह घंटे से अधिक न हों और कम से कम दो घंटे की शिक्षा सुनिश्चित हो। शिक्षा पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित नियोक्ता को वहन करना होगा।

(2) नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट (NCLP)

1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना देश में उच्च बाल श्रम की अधिकता

वाले 9 जिलों में शुरू की गई थी। इस योजना में काम से हटाए गए बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल चलाने की योजना बनायी गई है। इन विशेष विद्यालयों में इन बच्चों को औपचारिक–अनौपचारिक शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, 150 रुपये प्रतिमाह वजीफा, पूरक पोशाहार और नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाती है ताकि वे नियमित रूप से मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल होने के लिए तैयार हो सकें। योजना के तहत जिला कलेक्टरों को बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल चलाने के लिए राशि दी जाती है। इनमें से अधिकांश स्कूल जिले में गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(3) बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति

इस नीति में बाल श्रम और उनके परिवारों को भी सरकार की विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत कवर करने पर जोर दिया गया है। यह नीति बाल श्रम के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरू करने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

(4) बाल श्रम पर विभिन्न समितियां और सलाहकार बोर्ड

- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- बाल श्रम पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड
- एनसीएलपी के कामकाज की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति
- बाल श्रम परामर्शदात्री परिषद 1981
- राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966
- मेहता समिति 1986
- बाल श्रम प्रकोष्ठ 1979
- बाल श्रम उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण
- बाल श्रम उन्मूलन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
- गुरुपदस्वामी समिति 1979 इत्यादि।

बाल श्रम की रोकथाम हेतु भारत में गैर–सरकारी उपाय

विभिन्न सरकारी प्रयासों के अलावा भारत में उद्यमी वर्ग एवं विभिन्न गैर–सरकारी संगठन भी बाल श्रम उन्मूलन हेतु अपने स्तर पर सक्रिय रूप से संलग्न हैं। उद्यमी अपनी क्रियाओं को स्व–नियमित कर बाल श्रम को यथासंभव हतोत्साहित करते हैं तथा साथ ही भारत में निरंतर बढ़ते हुए गैर–सरकारी संगठनों ने भी बाल श्रम उन्मूलन को अपना एक मुख्य उद्देश्य बना रखा है।

भारत में बाल श्रम उन्मूलन में व्यवसायियों की भूमिका

एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में, बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति व्यवसाय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। व्यवसाय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी व्यावसायिक गतिविधियों से बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन होनी चाहिए। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए व्यवसायी की भूमिका को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है–

1. व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे बाल श्रम के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा उनके उचित पारिश्रमिक एवं जरूरी सुविधाएँ की व्यवस्था भी उन्हें करनी चाहिए।

2. बाल श्रम से हटाये गए बाल श्रमिक के परिवार के पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. उद्योगपतियों को ऐसे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, उप–ठेकेदारों, स्टॉकिस्टों आदि का बहिष्कार करना चाहिए, जो अपनी गतिविधियों में बाल श्रम का उपयोग करते हैं।

4. उद्योगपतियों को बाल श्रम के साथ–साथ युवा श्रमिकों (14 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु) को व्यवसाय की खतरनाक गतिविधियों से पूरी तरह से हटा देना चाहिए क्योंकि ये गतिविधियाँ उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता को असंतुलित कर सकती हैं।

5. व्यापारियों को सरकारों, व्यापारिक साथियों, समुदायों, बाल अधिकार संगठनों, ट्रेड यूनियनों और सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और बाल श्रम के मूल कारणों का स्थायी समाधान किया जा सके। उन्हें बाल श्रम को खत्म करने के लिए व्यापक सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

6. सभी व्यवसायों को बाल श्रम के संबंध में देश में प्रचलित सभी मौजूदा नियमों, विनियमों और नीतियों का पालन करना चाहिए। उन्हें बाल श्रम से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र का सम्मान करना चाहिए।

7. युवा श्रमिकों को खतरनाक गतिविधियों से हटाने के अलावा, व्यवसायी को उन्हें काम करने की अच्छी दशाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

8. सभी व्यवसायों को अपनी गतिविधियों में बाल श्रम के उपयोग को प्रतिबंधित करने और युवा श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में एक स्व–विनियमन संहिता को अपनाना और समर्थन करना चाहिए। संहिता व्यापक होनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत सरकार पुनर्वास उपायों के साथ–साथ विभिन्न उपरोक्त वर्णित विधायी प्रावधानों को सख्ती से लागू करके इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। राज्य सरकारें एवं सक्षम प्राधिकारी बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिए नियमित निरीक्षण और छापेमारी कर रहे हैं। चूंकि गरीबी इस समस्या का मूल कारण है, अतः सरकार इन बच्चों के पुनर्वास और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार पर बहुत जोर दे रही है। व्यवसाय को बाल श्रम उन्मूलन को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का मुख्य अंग मानना होगा। यह एक सुखद संकेत है कि सरकार, उद्यमियों, गैर–सरकारी संगठनों व समाज के संयुक्त प्रयासों के कारण 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या 1.27 करोड़ से घटकर 43.53 लाख हो गई है। व्यवसायियों को भी बाल श्रम उन्मूलन को पूर्ण रूप से हतोत्साहित करना होगा। श्रम–संघों को भी इस हेतु आगे आना चाहिये। सरकार को कानून बनाने से ज्यादा उसके

क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिये। साथ ही यह भी अनिवार्य हो जाता है कि जो भी अधिनियम बनाये जायें या संशोधित करें जायें उनमें असंगठित औद्योगिक क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाये क्योंकि बाल श्रम की वास्तविक समस्या इन्हीं क्षेत्रों में है। स्त्री बाल श्रमिकों के लिये विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। विभिन्न अधीनियमों के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित किया जाये जिससे भ्रामक स्थिति उत्पन्न न होने पाये। सजा एवं अर्थदण्ड संबंधी प्रावधानों को कठोर बनाया जाये। बच्चे–किशोर किसी भी देश के भविष्य का दर्पण हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उनके जीवन की विकासशील अवस्था में धनार्जन गतिविधियों/बाल श्रम में न धकेलकर, उन्हें भरपूर शिक्षण–प्रशिक्षण दें और उन्हें एक परिपक्व नागरिक के रुप में विकसित करें, तभी किसी भी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित है।

सन्दर्भ

1. भारत की जनगणना रिपोर्ट 2001
2. भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011
3. भारतीय वार्षिक सर्वेक्षण–विभिन्न रिपोर्ट
4. www.labour.nic.in ––– श्रम और रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
5. www.cry.org –– एनजीओ की आधिकारिक वेबसाइट, 'बाल अधिकार और आप'
6. www.censusindia.gov.in –– भारतीय जनगणना की अधिकृत वेबसाईट
7. ''भारत में बाल श्रम'', उषा शर्मा, मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली
8. ''बाल श्रम और मानवाधिकारः एक संभावना'' डी. सी. नंजुंदा, कल्पाज प्रकाशन, दिल्ली
9. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन –विभिन्न प्रतिवेदन
10. Childline India Foundation –विभिन्न प्रकाशन
11. "Young hands at work- child labour in India", मंजू गुप्ता, आत्मा राम एंड संस, दिल्ली
12. "Child labour in India" –एल.मिश्रा, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली